



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 255 राँची, शुक्रवार,

6 जून, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

9 मई, 2025

संख्या-04/नि०सं०-12-25/2015 का. 2611--श्री बिबेक कुमार सुमन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-399/20, गृह जिला जामताड़ा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामा, दुमका सम्प्रति उप निर्वाचन पदाधिकारी, राँची के विरुद्ध जामा प्रखण्ड अंतर्गत चिकनियाँ पंचायत में मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय अनियमितता बरतने संबंधी आरोप प्रपत्र-क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोपों के लिए श्री सुमन के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-23676 (HRMS) दिनांक 22.08.2023 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही लंबित रहने के कारण दिनांक 16.10.2023 एवं दिनांक 16.11.2023 को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री सुमन के संबंध में समिति द्वारा अनुशंसा मुहरबंद लिफाफ में रखने की प्रक्रिया अपनायी गई ।

2. श्री सुमन के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-29387 (HRMS), दिनांक 07.03.2025 द्वारा श्री सुमन को आरोप मुक्त किया गया ।

3. विभागीय संकल्प सं० 6227 दिनांक 20.11.2008 की कण्डिका 2(vi) के अनुसार किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही, जिसमें सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोपों को समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता तो पूर्णतः दोषमुक्त होने की स्थिति में उसकी प्रोन्नति की तारीख मुहरबन्द लिफाफ में रखे गए निष्कर्षों के अनुसार उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा उस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

4. विभागीय संकल्प सं०-29387 (HRMS), दिनांक 07.03.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त किये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं०-6227, दिनांक 20.11.2008 की कण्डिका 2(vi) के आलोक में श्री सुमन की प्रोन्नति से संबंधित दिनांक 16.10.2023 एवं 16.11.2023 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में संधारित मुहरबंद लिफाफ को दिनांक 16.04.2025 को खोला गया ।

- विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 16.10.2023 एवं 16.11.2023 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा श्री सुमन के संबंध में "प्रोन्नति के योग्य" अनुशंसा की गई है।

5. श्री विवेक कुमार सुमन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-399/20) से कनीय श्री राजेश एक्का, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-400/20) को विभागीय अधिसूचना सं० 7401 दिनांक- 30.12.2023 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है ।

6. अतः श्री बिबेक कुमार सुमन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-399/20) को उनसे कनीय श्री राजेश एक्का, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-400/20) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-III 15600-39100 GP-6600, पुनरीक्षित Pay matrix Level -11) में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि 30.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करते हुए उप निर्वाचन पदाधिकारी, राँची के धारित पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

7. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के आलोक में श्री सुमन को प्रदत्त प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा ।

8. यह प्रोन्नति याचिका संख्या WP(S) No. 4357/2020 समीर कच्छप एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, WP(S) No. 3792/2016 अमरेन्द्र सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
